RNI No. MAHBIL /2009/31746
Reg. No. MCS/176/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष ३, अंक २१] **गुरुवार ते बुधवार, जून २९-जुलै ५, २०१७/आषाढ ८-१४ शके १९३९** **[पृष्ठे १२**

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९, सन् २०१६.— महाराष्ट्र लोक न्यास (संशोधन) अधिनियम, २०१६ . .	२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १०, सन् २०१६.— महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (संशोधन) अधिनियम, २०१६ . .	४
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११, सन् २०१६.— महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१६ . .	६
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १२, सन् २०१६.— उपहारगृहों, रेस्टॉरंट तथा बार रुम में अश्लिल नृत्य का प्रतिषेध तथा (उनमें कार्यरत) महीलाओं की प्रतिष्ठा का संरक्षण अधिनियम, २०१६. . .	८

MAHARASHTRA ACT No. IX OF 2016.

THE MAHARASHTRA PUBLIC TRUST (AMENDMENT), ACT, 2016

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ३१ मार्च, २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

पी. एच. माली,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. IX OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC TRUST ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९ सन् २०१६।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में, दिनांक ३१ मार्च, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि महाराष्ट्र लोक न्यास (संशोधन) विधेयक, २०१५, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में ८ दिसंबर २०१५ को विधानसभा का विधेयक क्रमांक ५९ सन् २०१५ के रुप में महाराष्ट्र विधानसभा में पुरस्थापित किया गया था ;

और क्योंकि उक्त विधेयक राज्य विधानमंडल के सत्र का २३ दिसंबर २०१५ को सत्रावसान होने के कारण राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं हो सका था ;

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिये, महाराष्ट्र लोक न्यास (संशोधन) अध्यादेश, २०१६, २३ फरवरी, २०१६ को प्रख्यापित हुआ था ; सन् १९५० का २९। सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. ४।

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद् द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र लोक न्यास (संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

(२) यह, २३ फरवरी, २०१६ को प्रवत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९५० का महा. २९ की धारा २२ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २२ की उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धाराएँ निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (३क) उप या सहायक पूर्त आयुक्त, ऐसी विस्तृत और निष्पक्ष जाँच करने और जैसा कि विहित की जाये ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात्, निम्न आधारों पर न्यास अरजिस्ट्रीकृत कर सकेगा :—

(क) जब इसके प्रयोजन की पूरी तरह से पूर्ति हुई हो ; या

(ख) जब इसका प्रयोजन अविधिमान्य हो ; या

(ग) जब, न्यास-संपत्ति या अन्य के विनाश द्वारा इसके प्रयोजन की पूर्ति असंभव हो ; या

(घ) जब, न्यास प्रतिसंहार्य होते हुये, अभिव्यक्त रूप से प्रतिसंहृत होती है ; या

(ड़) जब, न्यासी, न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कोई कार्य नहीं करते पाये गये हैं :

" परन्तु, कोई भी न्यास, इस अधिनियम या, यथास्थिति, तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा या के अधीन यथा विहित परिवर्तन प्रतिवेदित करने, लेखाओं के प्रस्तुतीकरण या अनुपालन करने के अंतिम दिनांक से पाँच वर्षो की अवधि के लिये उसके न्यासी, उप-धारा (१) के अधीन परिवर्तन प्रतिवेदित करने में, धारा ३३ की उप-धारा (२) या धारा ३४ की उप-धारा (१क) द्वारा यथा विहित लेखा संपरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में या इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित किये गये किसी अन्य अनुपालन करने में चूक नहीं की गई है तो खंड (ड़) के अधीन अरजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा।

(३ख) उप या सहायक पूर्त आयुक्त, उप-धारा (३ क) के अधीन, अरजिस्ट्रीकृत न्यास की संपत्ति का प्रबंधन अधिकार में ले सकेगा और उसी के लिये, वह उचित समझे उसके समान ऐसे आवश्यक आदेश पारित करेगा और यदि, वह इष्टकर समझता है तो उसे विक्रय या अन्य द्वारा समाप्त कर सकेगा और धारा ५७ के अधीन स्थापित लोक न्यास प्रशासन निधि में विक्रय आगमों को जमा करेगा।"।

सन् १९५० का महा. २९ की धारा ३६क में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ३६ क की, उप-धारा (३) में, निम्न परंतुक, जोडा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, पूर्त आयुक्त या, यथास्थिति, संयुक्त पूर्त आयुक्त, यदि बैंक या वित्तीय संस्था कर्ज को अन्तिम मंजूरी देती है तो बैंक या वित्तीय संस्था से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर तुरन्त और अधिमानतः राशि उधार लेने के लिये, आवेदन करने का विनिश्चय करेगा। "।

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. ४।

४. महाराष्ट्र लोक न्यास (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. ४ का निरसन और व्यावृत्ति।

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों की अधीन कृत कोई बात या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत), उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत की गई, या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. X OF 2016.

THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS (AMENDMENT) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ३१ मार्च, २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. X OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT, 1958.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १० सन् २०१६।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक ३१ मार्च, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :- सन् १९५९ का ३।

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए ।

सन् १९५९ का ३ की धारा १०-१क में संशोधन।

२. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा १०-१क में, विद्यमान परंतुकों के स्थान में, निम्नलिखित परंतुक, रखा जाएगा, अर्थात् :— सन् १९५९ का ३।

" परंतु, आम या उप-चुनावों के लिए, जो राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रमों के अनुसार, नामांकन दाखिल करने के दिनांक ३१ दिसंबर २०१७ को या के पूर्व कोई व्यक्ति जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है, लेकिन जिसे नामांकन पत्र के दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह नामनिर्देशन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) वैधता प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की एक सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह, संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु आगे यह कि, यदि कोई व्यक्ति जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह सदस्य होने से निरर्ह हो जाएगा ।" ।

३. मूल अधिनियम की धारा ३०-१क में विद्यमान परंतुकों के स्थान में, निम्नलिखित परंतुक, रखे जाएँगे, अर्थात् :— सन् १९५९ का ३ की धारा ३०-१क में संशोधन।

" परंतु, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसरण में, **सरपंच** पद के लिए निर्वाचनों जिसके लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिनांक २८ फरवरी २०१८ को या के पूर्व हो तो, ऐसा व्यक्ति जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है, किंतु नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो, नामांकन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) विधिमान्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह, संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु आगे यह कि, यदि कोई व्यक्ति, जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह सरपंच होने से निरर्ह हो जाएगा ।" ।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XI OF 2016.

THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ७ अप्रैल, २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्र. हिं. माली,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XI OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE, 1966.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११ सन् २०१६।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक ११ अप्रैल, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, २०१६, ५ फरवरी २०१६ को प्रख्यापित हुआ था ; सन् १९६६ का महा. ४१ । सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र.३ ।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधान मंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है; इसलिये, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता हे :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

(२) यह ५ फरवरी २०१६ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा २५५ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (जिसे इसमें आगे, "उक्त संहिता" कहा गया है) की धारा २५५ की उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :— सन् १९६६ का महा. ४१।

"(४) किसी राजस्व या सर्वेक्षण अधिकारी के समक्ष दायर कोई अपील, जिस दिनांक पर ऐसी अपील दायर की गई है उस दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर निपटायी जायेगी :

परंतु, ऐसी कोई अपील, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१६ के प्रवृत्त होने के दिनांक से पहले दायर की गई है, तो ऐसे प्रारंभण के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर निपटायी जाएगी : सन् २०१६ का महा. ११।

परंतु आगे यह कि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, लिखित में अभिलिखित किए जानेवाले कारणों के लिए, किसी अपील का निपटान करने के लिए, अवधि राज्य सरकार या इस निमित्त पदाभिहित कलक्टर की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी जो इस निमित्त अपीलीय प्राधिकारी का वरिष्ठ है, के द्वारा अधिकतर छह महीनों तक विस्तारित की जा सकेगी ।

(५) यदि अपीलीय प्राधिकारी उप-धारा (४) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी अपील का निपटान करने में पर्याप्त कारण के बिना, असफल रहता है तो वह उस पर लागू होनेवाले संबंधित अनुशासनिक नियमों के अनुसरण में अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी होगा।"।

सन् १९६६ का महा. ४१ में धारा २५७ में संशोधन।

३. उक्त संहिता की धारा २५७ की,—

(क) उप-धारा (१) में, निम्नलिखित परंतुक, जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु, इस उप-धारा या उप-धारा (२) के अधीन ऐसी कोई कार्यवाहियाँ अधीनस्थ अधिकारी के निर्णय या आदेश के दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, किसी राजस्व या सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा शुरु नहीं की जाएगी।";

(ख) उप-धारा (३) के,—

(एक) प्रथम परन्तुक के पहले, निम्न परन्तुक निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

परंतु, किसी राजस्व या सर्वेक्षण अधिकारी के समक्ष लायी गई कोई कार्यवाही जिस दिनांक को ऐसी कार्यवाही दायर की गई है उस दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर निपटायी जाएगी :

सन् २०१६ का महा. ११।

परंतु आगे यह कि, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१६ के प्रारम्भण के दिनांक को किसी राजस्व या सर्वेक्षण अधिकारी के समक्ष, इस धारा के अधीन प्रलंबित कोई कार्यवाही ऐसे प्रारंभण के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर निपटायी जाएगी :

परंतु यह भी कि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, लिखित में अभिलिखित किए जानेवाले कारणों के लिए, किसी ऐसी कार्यवाही का निपटान करने की अवधि राज्य सरकार या इस निमित्त पदाभिहित कलक्टर की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी, जो इस निमित्त पुनरीक्षण प्राधिकरण का वरिष्ठ है, के द्वारा अधिकतर छह महीनों तक विस्तारित की जा सकेगी :

परंतु यह भी कि, यदि पुनरीक्षण प्राधिकारी, पर्याप्त कारण के बिना, उप-धारा (३) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई ऐसी कार्यवाहियों का निपटान करने में असफल रहता है, तब वह उस पर लागू होनेवाले संबंधित अनुशासनिक नियमों के अनुसरण में अनुशासनिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा ।";

(दो) प्रथम परन्तुक में, "परन्तु" शब्दों के स्थान में, "परन्तु यह भी कि" शब्द रखे जायेंगे ;

(तीन) द्वितीय परन्तुक में, "परन्तु आगे यह कि" शब्दों के स्थान में, "परन्तु यह भी कि " शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. ३।

"(४) उसमें निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा उप-धारा (१) या (२) के अधीन जारी किसी आदेश का पुनरीक्षण अनुज्ञेय नही होगा ; परंतु उप-धारा (१) या (२) के अधीन जारी ऐसे किसी आदेश का उपांतरण करना, बातिल करना या उलटना केवल राज्य सरकार के लिए विधिपूर्ण होगा ।"।

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. ३ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

सन् २०१६ का महा. ३।

(४) (१) महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश, द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जाएगी।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XII OF 2016.

THE MAHARASHTRA PROHIBITION OF OBSCENE DANCE IN HOTELS, RESTAURANTS AND BAR ROOMS AND PROTECTION OF DIGNITY OF WOMEN (WORKING THEREIN) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १४ अप्रैल, २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माळी,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XII OF 2016.

AN ACT TO PROVIDE FOR PROHIBITION OF OBSCENE DANCE IN HOTELS, RESTAURANTS, BAR ROOMS, AND OTHER ESTABLISHMENTS AND TO IMPROVE THE CONDITIONS OF WORK, PROTECT THE DIGNITY AND SAFETY OF WOMEN IN SUCH PLACES WITH A VIEW TO PREVENT THEIR EXPLOITATION.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १२ सन् २०१६।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक १६ अप्रैल, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

होटल, रेस्तरां, बार रूम और अन्य स्थापनाओं में अश्लील नृत्यों के प्रतिषेध और तथा ऐसे स्थानों में महिलाओं के शोषण को रोकने की दृष्टि से उनकी तथा प्रतिष्ठा और सुरक्षा की रक्षा तथा काम की स्थितियों में सुधार करने के लिए उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि होटल, रेस्तरां, बार रूम और अन्य स्थापनाओं में अश्लील नृत्यों के प्रतिषेध और तथा ऐसे स्थानों में महिलाओं के शोषण को रोकने की दृष्टि से, उनकी तथा प्रतिष्ठा और सुरक्षा की रक्षा तथा काम की स्थितियों में सुधार करने के लिए उपबंध करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र होटलों, रेस्तरां और बार रूमों में अश्लील नृत्यों का प्रतिषेध तथा उसमें (उसमें काम करनेवाली) महिलाओं की प्रतिष्ठा का संरक्षण अधिनियम, २०१६ कहलाए।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(१) " नशीला पेय पदार्थ " का तात्पर्य, शराब या नशे से मिलकर या युक्त किसी भी पीने योग्य पेय से है ;

(२) " अपील समिति " का तात्पर्य, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (अपील तथा सुरक्षा) ; महिला तथा बाल विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव और पुलिस अपर महानिदेशक या उसके प्रतिनिधि जो पुलिस महानिरीक्षक या संबंधित पुलिस आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के न हो से बनी समिति से है ;

(३) " बार रूम " का तात्पर्य, ऐसा स्थान जो स्वामी या मालिक द्वारा लोगों को प्रवेश दिया जाता है और जिसमें ग्राहकों के मनोरंजन के लिए ऐसे स्थापना के स्वामी या मालिक के कहने से या कहने पर नृत्यों का आयोजन किया जाता है ;

(४) " डान्सर " का तात्पर्य, मंच पर या परिसर के किसी भाग में नृत्य का प्रदर्शन करनेवाले किसी कलाकार से है ;

(५) " स्थापना " का तात्पर्य, कोई दुकान, वाणिज्यिक स्थापना, बार रूम, आवासीय होटल, रेस्तरां, उपाहार गृह, थिएटर या सार्वजनिक मनोरंजन या मनोरंजन का अन्य स्थान और ऐसी अन्य स्थापना शामिल है जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक स्थापना होने की घोषणा कर सकेगी ;

(६) " होटल " या " रेस्तरां " का तात्पर्य, कोई स्थापना जहाँ मादक पेय पदार्थ लाभ के लिए बेचे जाते हैं या उस पर ग्राहकों द्वारा उपभोग के बदले में स्वामी या मालिक के लाभ के लिए बेचे जाते है ;

(७) " लाईसेंस प्राधिकरण " का तात्पर्य, कोई प्राधिकरण जो धारा ४ के अधीन लाईसेंस देने के लिए सशक्त है ;

सन् १८६० का ४५।

(८) " अश्लील नृत्य " का तात्पर्य, कोई नृत्य जो भारतीय दंड संहिता की धारा २९४ तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अर्थान्तर्गत अश्लील है और कोई नृत्य शामिल होगा,—

(एक) जो नृत्य केवल दर्शकों की कामुक रुचि जगाने के लिए दिखाया जाता है ; और

(दो) जिस नृत्य में लैंगिक कुत्य, कामोद्योपक हालचाल, लैंगिक संकेत करने के उद्देश्य से या लैंगिक समागम के अवसर की उपलब्धता सूचित करनेवाले अंगविक्षेप या जिस नृत्य के समय डान्सर उसके जननेंद्रियों का प्रदर्शन कर रही है या यदि महिला है तो, अर्धनग्न हो ऐसा नृत्य ;

सन् १९४८ का महा. ७९।

(९) " स्वामी " या " मालिक " का तात्पर्य, कोई व्यक्ति जो किसी स्थापना का प्रबंधन, नियंत्रण या प्रभार करता है और महाराष्ट्र दुकानें तथा स्थापना अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित कोई नियोक्ता शामिल है ;

(१०) " स्थान " का तात्पर्य, जिसमें कोई स्थापना, घर, भवन, तम्बू और परिवहन का कोई भी मार्ग चाहे समुद्री, भूमि या वायु मार्ग शामिल है ;

(११) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से है।

होटल, रेस्तरां तथा बार रूम के लिए अनुमति।

३. कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन और अधिनियमों तथा नियमों द्वारा अधिरोपित शर्तों तथा निर्बंधनों के अनुसरण में लाईसेंस को प्राप्त किए बिना कोई होटल, रेस्तरां, बार रूम या कोई अन्य स्थान शुरू नहीं करेगा जहाँ नृत्यों का मंचन किया जाता है।

लाइसेंस प्राधिकारी।

४. (१) निम्नलिखित लाइसेंस प्राधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्रदान करने की शक्ति होगी, अर्थात्,—

सन् १९५१ का २२ ।

(एक) महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा ७ के अधीन बृहन्मुंबई तथा अन्य क्षेत्रों जिनके लिए एक पुलिस आयुक्त नियुक्त किया जाता है, पुलिस आयुक्त ; और

(दो) अन्य क्षेत्रों में, संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक।

(२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लाइसेंस प्राधिकारी होने के लिए अधिसूचना में जैसा कि वह निर्दिष्ट करें ऐसे अन्य प्राधिकारियों को **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकेगी।

लाईसेंस प्रदान करने के लिए शर्तें।

५. लाइसेंस प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्रदान नहीं करेगा जब तक कि उसका समाधान नहीं हो जाता है कि,—

(क) इस अधिनियम द्वारा विहित शर्तों और नियमों का आवेदक द्वारा पालन किया गया है,

(ख) होटल, रेस्तरां या बार कमरे में नियुक्त महिला रोजगार के संबंध में सुरक्षा के लिए कार्य की पर्याप्त शर्तें तथा उपबंध विहित रूप में प्रदान किये गये हैं, और

(ग) ऐसे स्थान के संबंध में जिसे लाइसेंस दिया जा रहा है ऐसे स्थान में ठहरने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए प्रावधान करने के लिए पर्याप्त सावधानी ली गई है।

लाईसेंसों के लिए पात्रता।

६. (१) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस पाने का इच्छुक कोई व्यक्ति विहित रूप में पात्रता मानदंड को पूरा करेगा और विहित प्रारुप में सभी संबंध में आवेदन को पूरा करेगा।

(२) लाइसेंस प्राधिकारी यदि वह उचित समझे जैसा कि विहित किया जाए ऐसी फीस की अदायगी पर और ऐसे निर्बंधनों तथा शर्तों और ऐसे प्रतिबंधों के अध्यधीन ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्रदान कर सकेगा। लाइसेंस प्राधिकारी, कारणों को लिखित में अभिलिखित करने के पश्चात्, किसी ऐसे लाइसेंस देने के लिए इनकार कर सकेगा :

परंतु, लाइसेंस प्राधिकारी, सभी संबंध में पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से एक महिने की अवधि के भीतर आवेदन पर निर्णय ले सकेगा।

(३) लाइसेंस, लाइसेंस प्राधिकारी के हस्ताक्षर के अधीन विहित प्रारुप में पात्र आवेदन को जारी किया जायेगा।

(४) महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी लाइसेंस, डिस्कोथेक या वाद्य-वृंद के लिये नहीं दिया जायेगा जिस स्थान में जहाँ इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिया गया है या जिस स्थान के लिये लाईसेंस डिस्कोथेक या वाद्य-वृंद के लिये दिया गया है उस स्थान के लिये इस अधिनियम के अधीन दिया नहीं जायेगा। सन् १९५१ का २२।

यह अधिनियम अन्य विधि के अतिरिक्त में और अल्पीकरण करनेवाला नहीं होगा।

७. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त तथा अल्पीकरण करनेवाले नहीं होंगे।

अपराधों के लिए दण्ड।

८. (१) कोई स्वामी या मालिक या प्रबंधक या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति जो धारा ३ के उल्लंघन में किसी स्थान का उपयोग करता है तो दोषसिद्धि पर, कारावास से उस अवधि के लिए जो पाँच वर्षों तक बढ़ायी जा सकती है या जुर्माने से जो पच्चीस लाख रुपयों तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दण्डित किया जाएगा ; और ऐसे अपराध जारी रहने के मामले में प्रत्येक दिन के लिए जारी अपराध के दौरान, पच्चीस हजार रुपये के अधिकतर जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

(२) कोई स्वामी या मालिक या प्रबंधक या उसकी ओर से कार्य करनेवाला किसी व्यक्ति को किसी स्थान में किसी अनैतिक प्रयोजन के लिए किसी कामकाजी महिला से अश्लील नृत्य या शोषण करने की अनुमति नहीं होगी और ऐसे कार्य करनेवाले किसी व्यक्ति को, दोषसिद्धि पर, कारावास से उस अवधि के लिए जो तीन वर्षों तक बढ़ायी जा सकती है या ऐसे जुर्माने से जो दस लाख रुपयों तक बढ़ायी जा सकती है या दोनों से दण्डित किया जाएगा ; और ऐसे अपराध के जारी रहने के मामले में प्रत्येक दिन के लिए उस जारी अपराध के दौरान ऐसे अधिकतर जुर्माने से जो दस हजार रुपयों तक बढ़ायी जा सकती है उससे दण्डित किया जाएगा।

(३) उप-धारा (१) और (२) के अधीन अपराध प्रथम श्रेणी के न्यायिक मॅजिस्ट्रेट द्वारा, संज्ञेय तथा अजमानतीय और विचारणीय होंगे।

(४) कोई व्यक्ति, किसी डान्सर को मंच पर सिक्कों, करेंसी नोटों या कोई वस्तु या उसके टोकन में वस्तुओं को नहीं फेंकेगा या बौछार नहीं करेगा या व्यक्तिगत रूप से या किसी भी तरह के सिक्कों, करेंसी नोटों या कोई अन्य वस्तु या उसके टोकन पर वस्तुओं के जरिए नहीं सौंपेगा या उस जगह कामकाजी महिला के साथ अभद्र व्यवहार या अनुचित व्यवहार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ती जो ऐसे कृत्य करता है या ऐसे कृत्यों को करने में अवप्रेरित करता है तो उसे दोषसिद्धि पर, कारावास से उस अवधि के लिए जो छह महीनों तक बढ़ायी जा सकती है या उस जुर्माने से जो पचास हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

(५) उप-धारा (४) के अधीन दण्डनीय अपराध, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मॅजिस्ट्रेट द्वारा, असंज्ञेय और जमानतीय तथा विचारणीय होंगे।

(६) कोई भी व्यक्ती जो, इस अधिनियम के किसी उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके लिए किसी अन्य सजा का उपबंध नहीं किया गया है तो दोषसिद्धि पर, कारावास से उस अवधि के लिए जो तीन महीनों तक बढ़ायी जा सकती है या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

लाईसेंस रद्द करने, निरस्त करने या स्थगित करने की शक्ति।

९. (१) लाइसेंसधारी या उसकी ओर से कार्य करनेवाला कोई भी व्यक्ति लाईसेंस अवधि में विहित सभी लाइसेंस शर्तों का पालन करेगा।

(२) इस अधिनियम के किसी उपबंध या तद्धीन बनाए गए नियम या इस अधिनियम के जिस किसी शर्त या प्रतिबंध के अध्यधीन उसे लाइसेंस प्रदान किया गया है ऐसे किसी लाइसेंस धारक द्वारा किसी उल्लंघन के प्रसंग में या इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए उसके दोषसिद्धि के प्रसंग में, लाइसेंस प्राधिकारी जैसा कि वह उचित समझें ऐसी अवधि के लिए आदेश द्वारा, लाइसेंस रद्द या निरस्त या स्थगित कर सकता है :

परंतु, ऐसा कोई लाइसेंस जब तक उसके धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता है तब तक रद्द, निरस्त या स्थगित नहीं किया जाएगा।

(३) किसी मामले में इस अधिनियम के अधीन लाईसेंसधारी तीन बार के लिये अपराध करता है तो उसका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किये जाने के लिये दायी होगा।

अपील समिति को अपील।

१०. (१) धारा ६ या धारा ९ के अधीन कोई लाइसेंस के निलंबन, रद्दकरण या प्रतिसंहरण के अधीन लाइसेंस देने के लिये अस्वीकृत करनेवाले लाइसेंस प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, विहित किया जा सके ऐसी अवधि के भीतर, विहित किया जाऐ ऐसी फीस के साथ अपील समिति को अपील कर सकेगा और अपील समिति, ऐसी अपील पर जैसा कि ऐसी अवधि के भीतर वह न्यायसंगत और उचित समझे ऐसा आदेश बनायेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन पारित आदेश अंतिम होगा।

पुनरीक्षण।

११. राज्य सरकार, उसके खुद के प्रस्ताव पर या विहित किया जाए ऐसी अवधि के भीतर व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा किये गये आवेदन पर, दोनों इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राधिकरी द्वारा किये गये किसी आदेश का अभिलेख मांग सकेगी और जाँच कर सकेगी और जैसा कि वह न्यायसंगत और उचित समझे उस पर आदेश पारित कर सकेगी :

परंतु,—

(एक) जब इस धारा के अधीन आवेदन राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृत किया गया है तब ऐसे रद्दकरण के लिये कारणों को अभिलिखित किया जायेगा ; और

(दो) इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश के पूर्व जिससे कोई व्यक्ति प्रभावित होने की संभावना है तो उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा :

परंतु यह कि, जब अपील धारा १० के अधीन दायर है तो ऐसा संशोधन इस धारा के अधीन ग्रहण नहीं किया जायेगा।

शिकायत राहत यंत्रणा।

१२. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंध सम्यक् रूप से अवलोकित होकर लागू है उन होटलों, रेस्तरां और बार रूम में कामकाजी महिलाओं की सेवा की शर्ते सुनिश्चित करने के लिये शिकायत राहत समिति गठित करेगी। समिति जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीत्या ऐसी महिला की शिकायतों का निवारण करेगी।

(२) समिति, जैसा कि विहित किया जाए वर्ग-क अधिकारियों के श्रेणी के निम्न का न हों, सरकार के ऐसे अधिकारियों को सम्मिलित करेगी।

(३) रीति, जिसमें ऐसी समिति जैसा कि विहित किया जाए उसकी शक्तियों का प्रयोग और उसके कर्तव्यों का निवर्हन करेगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

१३. राज्य सरकार, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, जिसे अधिरोपित किया जा सके, धारा ११ के अधीन उसकी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

१४. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(२) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए चाहे एक सत्र में हो या दो या इससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, को मिलाकर हो, रखा जाएगा, और यदि उस सत्र के, जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या सद्य अनुवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन किसी नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम नही बनाया जाए, और ऐसे विनिश्चय को **राजपत्र** में अधिसूचित करते हैं तो नियम **राजपत्र** में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जाएगा ; तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई या करने से छोडी गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगा।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

१५. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भत होती है, तो राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, जैसा अवसर अद्भत हो, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत ऐसी बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंतु, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, इस उप-धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा ३३क का अपमार्जन।

१६. महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा ३३क अपमार्जित की जायेगी। सन् १९५१ का २२।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.